न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
30 / 2020	14.09.2020	18.01.2021

उनवान

1. भोमाराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी सराय कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल आर एक्ट 1956

: निर्णय :—

दिनांक :— 18.01.2021

उपस्थिति :—
1— श्री रणवीर सिंह, वकील प्रार्थी

1. यह है कि आराजी हाल खसरानम्बर 960 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम सराय कलां तहसील मुण्डावर में स्थित है। जो आराजी इस प्रार्थनापत्र में विवादित कहलायेगी।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 960 रकबा 1.15 है0 का गत खसरा नम्बर 868 रकबा 4 बीधा 12 बिस्वा रही है।
3. यह है कि उक्त आराजी मिन वादी की पैत्रिक कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है, जो आराजी मिन वादी को जरिये विरास्त इन्तकाल स0 91 से प्राप्त हुयी है। जिस आराजी पर मिन वादी बाबिज होकर काश्त करता आ रहा है।
4. यह है कि जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2045 तक के राजस्व रिकोर्ड में भोमाराम पुत्र श्रीराम दर्ज रहा है, लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा उसके बाद की जमाबन्दीयात तैयार करते समय खिलाफ मौ[illegible] कानून मिन वादी का नाम भोमाराम के स्थान पर [illegible] जो गलत अंकन सम्वत 2046 से ताः हाल जमाबन्दी[illegible] आ रहा [illegible]सलिए उक्त गलत इन्द्राज काबिजे शुद्धिकरण है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत शुद्धि[illegible] करना लाजिमी आया है।

प्रार्थीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 960 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम सराय कलां तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकोंड में मिन प्रार्थी का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 10:53:29 IST
Reason: SelfAttested

२५६—

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

ओमप्रकाश को हजफ कर, भोमाराम दर्ज कर, राजस्व रिर्कोड शुद्विकरण करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश किया। वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में हाल जमबान्दी सम्वत 2072, मिलान क्षेत्रफल 2029, जमाबन्दी सम्वत 2035, जमाबन्दी सम्वत 2035–39, जमाबन्दी सम्वत 2039–42, जमाबन्दी सम्वत 2045–49, पेन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति पेश किये है जो शामिल मिसल है।

तहसीलदार मुण्डावर की रिपोर्ट के अनुसार भोमाराम पुत्र श्रीराम का वास्तविक नाम भोमाराम ही है। प्रार्थी के राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम भौमासिंह पुत्र राम जाट दर्ज है। प्रार्थी हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी में काबिज कास्त है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड होने का निवेदन किया है।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 960 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम सराय कलां तहसील मुण्डावर के राजस्व रिर्कोड में ओमप्रकाश को हजफ कर भोमाराम राजस्व रिर्कोड में अमल दरामद किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

18/1/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 10:53:29 IST
Reason: SelfAttested